



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 226 राँची, शुक्रवार, 8 जेष्ठ, 1942 (श०)
29 मई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

19 मई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-342/2014-5451 (HRMS)—श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-733/03, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा, लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-977/डी0आर0डी0ए0, दिनांक 15.05.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

(i) प्रखण्ड चंदवा अन्तर्गत योजना संख्या-12/2005-16 (चंदवा मेन रोड से पेट्रोल पम्प होते हुए चेकनाका तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण) का मूल अभिलेख जिस पर महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के अंकेक्षण दल द्वारा जाँच की गई है, जो प्रखण्ड कार्यालय से गायब है। इस संबंध में तत्कालीन पंचायत सेवक श्री उमाशंकर सिंह, चंदवा ने लिखित रूप बयान दिया कि उक्त योजना का मूल अभिलेख उनके द्वारा आपको (तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा श्रीमती ज्योत्सना सिंह को) हस्तगत करा दिया गया था। प्रखण्ड में छाया अभिलेख ही उपलब्ध था, जिस पर वित्त विभाग का अंकेक्षण दल द्वारा जाँच किया गया है।

(ii) SGRY 20% के सहायक रोकड़ पंजी जो दिनांक 20.03.2003 से संधारित है के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस योजना में विभिन्न तिथियों को आपके द्वारा भुगतान किया गया। उपर्युक्त सहायक रोकड़पंजी में इस योजना में कुल नगद सीमेंट एवं गेहूँ को मिलाकर 16,03,199.45 (सोलह लाख तीन हजार एक सौ

निनानबें रु0 पैतालीस पैसा) का भुगतान किया गया है। सहायक रोकड़ पंजी के पृष्ठ संख्या 154, 156 एवं 157 में बाद में लाल स्याही से आपके द्वारा Not Paid अंकित किया गया है। जबकि छाया अभिलेख के आदेश फलक में अभिश्रव में भुगतान प्राप्ति का हस्ताक्षर है। आपके द्वारा यह अंकित किया गया है कि इन सभी का प्रविष्टि दिनांक 31.03.2006 के सहायक रोकड़पंजी के प्राप्ति शीर्ष में कर दी गई है, परन्तु दिनांक 31.03.2006 के सहायक एवं सामान्य पंजी के अवलोकन से यह पाया गया कि आपके द्वारा सहायक रोकड़पंजी में हस्ताक्षर करने के उपरांत नीचे लाल स्याही से कुल 5,30,939.15 (पाँच लाख तीस हजार नौ सौ उनचालीस रु0 पन्द्रह पैसे) की प्रविष्टि की गई, परन्तु इसमें जोड़ में कोई अन्तर नहीं किया गया। आपके द्वारा नीचे की गई प्रविष्टि को महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा अपनी पेसिल से काट दिया गया है एवं वित्त विभाग के अंकेक्षण दल के द्वारा हरी पेसिल से घेर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि अंकेक्षण दल ने आपके द्वारा बाद में की गई प्रविष्टि को नहीं माना है। रोकड़पंजी के अनुसार अभिकर्ता को कुल 10,00,000.00 (दस लाख) रु0 का भुगतान किया गया जबकि छाया अभिलेख में 2,70,000.00 रु0 (दो लाख सत्तर हजार) की प्रविष्टि की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि मूल अभिलेख एवं सहायक/सामान्य रोकड़पंजी में आपके द्वारा छेड़छाड़ की गयी है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9750, दिनांक 24.08.2012 द्वारा श्रीमति सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्रीमति सिंह के पत्रांक-265/रा0, दिनांक 27.08.2012 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमति सिंह के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10588, दिनांक 13.09.2012 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की माँग की गयी एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपायुक्त लातेहार से प्रतिवेदन की माँग की गई। उपायुक्त लातेहार के पत्रांक-2014/डी0आर0डी0ए0, दिनांक 28.1.2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्रीमति सिंह के स्पष्टीकरण पर असहमति व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

श्रीमति सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लातेहार के मंतव्य के समीक्षोपरान्त, विभागीय संकल्प सं0-6518, दिनांक-25.05.2017 द्वारा श्रीमति सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-35, दिनांक 07.02.2018 द्वारा श्रीमति सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपों को आशिक प्रमाणित पाया गया।

श्रीमति सिंह के विरुद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत इनकी तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा पूछने का निर्णय लिया गया।

विभागीय पत्रांक-8482, दिनांक 22.11.2018 एवं पत्रांक-2896, दिनांक 05.04.2019 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती सिंह के पत्रांक-354, दिनांक 24.05.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्रीमती सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि-

(क) उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1079/वि0 दिनांक 31.07.2008 द्वारा प्रखण्ड चंदवा में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अभिलेख संख्या-12/2005-06 (चंदवा चेकनाका से मेन रोड पेट्रोल पम्प तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण योजना) में महालेखाकार, झारखण्ड के अंकेक्षण दल द्वारा 5.16 लाख रु0 का गबन का मामला

संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-9750, दिनांक 24.08.2012 द्वारा श्रीमती सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गई है एवं उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-977, दिनांक 15.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र-‘क’ में भी मुख्यतः वही आरोप श्रीमती सिंह के विरुद्ध गठित किया गया है। अतः श्रीमती सिंह का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(ख) प्रपत्र-‘क’ के गठन की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए श्रीमती सिंह का कथन अस्वीकार्य है।
(ग) योजना संख्या-12/2005-06 (चंदवा मेनरोड से पेट्रोल पम्प होते हुए चेकनाका तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण) की प्राक्कलित राशि 11.46 लाख के विरुद्ध उक्त योजना में लगभग 5.98 लाख की राशि का अधिक भुगतान किया गया एवं महालेखाकार द्वारा मामला प्रकाश में लाने के बाद उक्त राशि को 15 माह बाद दिनांक 21.01.2007 को रोकड़ पंजी में प्राप्ति के रूप में दिखाया गया है। अतः यह राशि के अस्थायी गबन का मामला बनता है।

(घ) प्रखंड विकास पदाधिकारी के पत्रांक-294, दिनांक 27.07.2007 में संबंधित योजना में दिनांक 21.01.2007 को 5,30,939.15 ₹ के समायोजन की बात भी अंकित की गई है। यदि योजना में अधिक भुगतान नहीं किया गया तो फिर समायोजन क्यों किया गया है। उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-85/गो0, दिनांक 20.12.2007 द्वारा स्थापना उप समाहर्ता लातेहार को प्रेषित प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चंदवा के पत्र सं0-543 दिनांक 19.12.2007 के आधार पर प्रेषित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, चंदवा के उक्त पत्र में उल्लेखित किया गया है कि रोकड़ पंजी एवं योजना पंजी के अनुसार विभिन्न तिथियों को चेक के माध्यम से अभिकर्ता को राशि एवं सीमेंट का भुगतान किया गया है, जबकि वित्त अंकेक्षण विभाग के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त योजना में सामग्री के अतिरिक्त नकद भुगतान 11.05 लाख ₹ में सिर्फ 3.3 लाख राशि का भुगतान चेक द्वारा एवं शेष राशि नकद भुगतान की गई है एवं इस तथ्य की पुष्टि योजना अभिलेखों एवं अभिश्रवों की छायाप्रति से हुई है। इसके अतिरिक्त श्रीमती सिंह पर राशि के गबन के स्थान पर अस्थायी गबन का मामला प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा वित्त (अंकेक्षण) विभाग के निरीक्षण टिप्पणी में प्रतिवेदित “लिपिकीय भूल” के तथ्य से असहमति प्रतिवेदित की गई है।

(ङ) रोकड़ पंजी के संधारण में गड़बड़ी हेतु नाजीर एवं कार्यालय प्रधान तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होने के नाते श्रीमती सिंह समान रूप से दोषी प्रतीत होते हैं। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती सिंह को झारखण्ड कोषागार संहिता (प्रथम खंड) के नियम-86(ii), (iii) एवं (iv) में प्रावधानित नियमों का अनुपालन नहीं करने का दोषी पाया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं0-26125, दिनांक-15.10.2019 द्वारा उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरुद्ध श्रीमती सिंह द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:-

(i) संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में किस प्रकार कार्रवाई की जानी है, के संबंध में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-18 में मार्गदर्शन अंकित है। उक्त नियम के 18(4) में अंकित है कि - "किसी मामले में अनुशासनिक प्राधिकार यदि जाँच प्राधिकार से भिन्न है, तो अंतिम आदेश करने से पहले जांच प्रतिवेदन की प्रति संबंधित सरकारी सेवक को अग्रसारित करेगा, जो यदि वह ऐसा करने के इच्छुक हो, अपना लिखित रूप से अभ्यावेदन/अभिवेदन अनुशासनिक प्राधिकार को 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेगा"। परन्तु मेरे मामले में उक्त कार्रवाई को नहीं करते हुए मुझे द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में दण्ड के स्वरूप को वर्णित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो नियमानुसार नहीं है।

विभागीय समीक्षा- संचालन पदाधिकारी द्वारा योजना संख्या 12/2005-06 (चंदवा मेन रोड से पेट्रोल पम्प होते हुए चेकनाका तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण) में प्राक्कलित राशि 11.46 लाख रु0 के विरुद्ध लगभग 5.16 लाख रु0 अधिक राशि की भुगतान प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है एवं अधिक राशि की भुगतान का मामला प्रकाश में आने के बाद आरोपी (श्रीमति सिंह) द्वारा रोकड़ बही में दिनांक 31.03.2006 वाले पृष्ठ के नीचले अंश में पूर्व में भुगतान किए गए अभिश्रवों को बाद में cancel कर अभिश्रवों की राशि अंकित कर राशि को प्राप्त पक्ष में ले लिया गया, परन्तु उक्त राशि को दिनांक-31.03.2006 को नहीं जोड़कर प्रभार त्याग के दिन अर्थात् दिनांक 21.01.2007 की तिथि में 5,30,939.15 पैसे की प्रविष्टि आय पक्ष में करने की पुष्टि की गई है। इस आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा राशि के गबन के आरोप को सत्य नहीं पाया गया, किन्तु योजना में अधिकाई व्यय/दुर्विनियोग के आरोप से बचने संबंधी आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

इसके अतिरिक्त संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग के निरीक्षण टिप्पणी में प्रतिवेदित "लिपिकीय भूल" के तथ्य से असहमति व्यक्त की गई है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी को झारखण्ड कोषागार संहिता (प्रथम खण्ड) के नियम-86(ii),(iii) एवं (iv) में प्रावधानित नियमों का अनुपालन नहीं करने का आरोप भी प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है ।

आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध संचालन पदाधिकारी के प्रमाणित प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में ही दण्ड अधिरोपण की कार्रवाई की गई है ।

(ii) झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-18(6) के आलोक में कार्रवाई की गई, जो उक्त नियमावली के नियम-18(4) के विपरीत है ।

विभागीय समीक्षा- श्रीमति सिंह को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के आलोक में ही दण्ड देने की कार्रवाई की गई है ।

(iii) झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-18(7) में यह अंकित है कि- "उप नियम-(5) एवं (6) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हरेक मामले में जहां आयोग से परामर्श आवश्यक हो वहां आयोग से परामर्श किया जाएगा और सरकारी सेवक पर कोई शास्ति अधिरोपित करने का आदेश देने के पूर्व उसके परामर्श पर विचार किया जायेगा।" परन्तु मेरे मामले में उक्त दिशा-निर्देश का भी पालन नहीं किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि इस बात का समावेश निर्गत संकल्प में अंकित नहीं है कि संबंधित दण्ड पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त है ।

विभागीय समीक्षा- झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्य सीमन) विनियम 2000 के नियम-10 के आलोक में विच्युति, सेवा से हटाये जाने एवं बर्खास्तगी दण्ड अधिरोपण के पूर्व आयोग का परामर्श अपेक्षित है। अतः समीक्षोपरांत, श्रीमति ज्योत्सना सिंह, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवा, लातेहार द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-26125, दिनांक- 15.10.2019 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक संबंधी अधिरोपित दण्ड यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JYOTSANA SINGH BHR/BAS/3469	श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-733/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा, लातेहार के द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
